न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

(36)

मि0नं0
37/2022

तारीख फैसला

13.05.2023

उनवान

1– बहादुरी बाई उर्फ बद्री बाई पुत्री गोरधन जी जाति भील निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 142 नया व 134 पुराना की खसरा नम्बर 263 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 की 0.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 408 की 0.35 हेक्टर कुल तीन किता की 0.78 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि पूर्व में वादनी के पिता गोरधन जी व अन्य के नाम दर्ज आ रही थी। गोरधन जी का 1/3 हिस्सा दर्ज था गोरधन जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में गोरधन जी का इंतकाल तस्दीक किया गया इंतकाल के समय वादनी का नाम सहवन से बद्री बाई दर्ज हो गया।

यह कि वादनी का नाम बहादुरी बाई है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम सहवन से बद्रीबाई दर्ज किया हुआ है जो गलत है।

यह कि वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वादनी का नाम बहादुरी बाई अंकित है। वादनी की नाम बद्री बाई के स्थान पर बहादुरी बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 12.02.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादनी का निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:–

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

(37)

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 142 नया व 134 पुराना की खसरा नम्बर 263 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 की 0.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 408 की 0.35 हेक्टर कुल तीन किता की 0.78 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम बद्री बाई के स्थान पर बहादुरी बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में बद्री बाई एवं बहादुरी बाई एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का नाम बद्रीबाई के स्थान पर बहादुरी बाई उर्फ बद्री बाई दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 142 नया व 134 पुराना की खसरा नम्बर 263 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 की 0.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 408 की 0.35 हेक्टर कुल तीन किता की 0.78 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में बद्री बाई के स्थान पर बहादुरी बाई उर्फ बद्रीबाई दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

दरम्यान

1– बहादुरी बाई उर्फ बद्री बाई पुत्री गोरधन जी जाति मीणा निवासी पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से – श्री धनराज मण्डावत एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>मिसल नं 37 / 2022</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुदर्ई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खाते में खाता सं0 142 नया व 134 पुराना की खसरा नम्बर 263 की 0.33 हेक्टर, खसरा नम्बर 405 की 0.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 408 की 0.35 हेक्टर कुल तीन किता की 0.78 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में बद्री बाई के स्थान पर बहादुरी बाई उर्फ बद्रीबाई दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.05.2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा